

फर्द अहकाम

(नियम 15)

2025/824

दिनांक

20.10.2025

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

रामकुमार

बनाम

महावीर आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 559 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
14.10.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 28.10.2025 को पेश हो।	
27.10.2025	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मित्राल पेश करके पट प्रजावली को चेन्नी में निपागण कुलाल करिछेन उपरिपत्ता कुलाल करिछेन उपरिपत्ता की व पूरि की स०।रा०ने डाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे बाउ तारीख शामिल करके निपा गणा प्रजावली काटे करे जाकर ऊकी का तारीख 28.10.2025 को पेश हो।	<p>वादी-अहकाम</p> <p>डा. रामकुमार</p> <p>प्रजावली</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p>
28.10.2025	कुलाल करिछेन उपरिपत्ता करे जाकर प्रजावली उभरी रहल सुनी गई। प्रजावली का प्रबलो पत्र निपा गणा। प्रजावली पट उपरिपत्ता रिहाई गई। प्रतिवादी राजीनामा के आकार पट वाद की डिक्ली निपा जाता है। पूर्ण विवरण सहित सिर्फ डाक के निवासा जाकर शामिल करके निपा जाके प्रजावली नकर के कम की जाकर बाउ तारीख तबकील जाकरा नाखिल फरल हो।	<p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p> <p>कुलाल</p>

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

अभिप्रेत

अभिप्रेत